पत्रांक 3/एम–23/2005–का0– 2392

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव/सचिव,

सभी विभाग ।

पटना–15, दिनांक– 25.8.06

विषय:– सेवाओं/संवर्गों के लिए सेवा/संवर्ग नियमावली का गठन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक 640 दिनांक 17.3.2006, पत्रांक 844 दिनांक 01.4.2006, पत्रांक 1160 दिनांक 27.4.2006 तथा पत्रांक 1897 दिनांक 13.7.2006 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि सरकार के निदेशानुसार तीन महीनों के अन्दर सेवाओं/संवर्गों की नियमावली गठित कर इस दिशा में हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध सभी विभागों से किया गया था । प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 20.7.2006 एवं 21.7.2006 को सभी विभागों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा की गयी । उक्त समीक्षा के फलस्वरूप यह पाया गया कि सरकार के निदेशों का अनुपालन करने हेतु विभागों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है । उक्त बैठक की कार्यवाही सभी विभागों को भेजी गयी है ।

2. ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार के निदेश के अनुसार सभी प्रकार की सेवाओं/संवर्गों, चाहे राजपत्रित सेवा/संवर्ग हो या अराजपत्रित सेवा/संवर्ग, चाहे जिस किसी भी वर्ग (समूह) के हों, की नियमावली बनाये जाने की अपेक्षा है ।

3. अतः अनुरोध है कि जिन सेवाओं/संवर्गों/पदों की नियमावलियाँ नहीं है उनके संबंध में नियमावली का अविलम्ब गठन कर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 1757 दिनांक 30.7.2005 के तहत गठित प्राधिकृत समिति के विचारार्थ तीन अलग–अलग फोल्डरों में वित्त विभाग, कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग तथा विधि विभाग को एक माह के अन्दर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय । नियमावली के प्रारूपण हेतु मार्गदर्शन के प्रयोजनार्थ, संवर्ग–विशेष के लिए नियमावली का माडल प्रारूप अनुलग्नक–1 पर तथा संवर्ग/पद समूह के लिए समेकित नियमावली का मॉडल प्रारूप अनुलग्नक–2 पर संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

अनुलग्नक--1

बिहार सरकार
...........................विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना--15, दिनांक--

सं0-- ..../ भारत--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल................................. के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं --

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।-- (1) यह नियमावली " ...." कही जा सकेगी ।
   (2) इसका विस्तार ....होगा ।
   (3) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।
2. परिभाषाएँ ।-- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में --
   (i)"राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
   (ii)"नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है............................;
   (iii)"संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है ....;
   (iv)"विभाग" से अभिप्रेत है ....;
   (v)"आयोग" से अभिप्रेत है..;
   (vi)
   (vii)

3. सेवा/संवर्ग का गठन ।-- (1) इस सेवा या संवर्ग में निम्नांकित कोटि के पद होंगे--
   (i) ....
   (ii) ....
   (iii) ....
   (2) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे ।
4. प्राधिकृत बल ।--
5. आरक्षण ।-- सेवा या संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे ।
6. भर्ती ।--
7. अर्हता ।--
8. परिवीक्षा एवं अवधि ।--
9. प्रशिक्षण ।--
10. विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम ।--
11. सम्पुष्टि ।--
12. प्रोन्नति ।--
13. अवशिष्ट मामले ।--
14. कठिनाइयों का निराकरण ।--
15. निर्वचन ।--

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

( )
सरकार के सचिव

अनुलग्नक–2

बिहार सरकार
..............................विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक–

सं०– ..../ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल.................................... के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।– (1) यह नियमावली " ...." कही जा सकेगी ।
   (2) इसका विस्तार ....होगा ।
   (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।
2. परिभाषाएँ ।– जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में ....
   (i)"राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
   (ii)"आयोग" से अभिप्रेत है................................;
   (iii)"विभाग" से अभिप्रेत है ....;
   (iv) ....;
   (v) ....;
   (vi)

3. संवर्ग ।– ....विभाग में निम्नांकित संवर्ग हैं, जिनमें नियुक्ति/प्रोन्नति परिशिष्ट–1 के अनुसार होगी ।

....

4. आरक्षण ।– नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे ।
5. अवशिष्ट मामले ।–
6. कठिनाइयों का निराकरण ।–
7. निर्वचन ।–

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(   )
सरकार के सचिव

परिशिष्ट –1

क्र०सं०	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यताएँ	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17